

18/11/2020 दिनांक 17/11/20 का अवकाश घोषित हो जाने के कारण फावली आज पेश हुई। वकील आशीषाचरण उपाय वेल्फेयर सं. 2 की ओर से श्री भोलाराम शर्मा अल. ने कलकत्ता नामा पेश किया जो शी. नं. किया गया। तलवी मूल अपिलेव तहसीलदार - चौथी की बरबाद से प्राप्त हो चुका है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13/10/2020 को रेल्वे द्वारा माननीय राजान्व मंडल में चुनौती दी जाने पर माननीय राजान्व मंडल द्वारा उक्त आदेश की क्रियाकारी मंडल में अपने आदेश दिनांक 10-11-20 से न्यायित की जाऊँगी। पत्रांक LR/क्रि/2020/4034/मलका दिनांक 10/11/20 से मूल फावली सं. 63/20 को मंडल में निपट दिनांक 01-11-20 से पूर्व भिजवाणे बाबत लिखा है। अतः मूल फावली राजान्व मंडल अजमेर को भिजवाते हुए न्यायालय द्वारा के दर्ज रजिस्ट्र से अम्बर से क्रम की जावे।



(नूमल पहाड़िया)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

